राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोसेलाव

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 03/2015
दायरा तिथि 09.01.2015
निर्णय तिथि 20.06.2017

वादी–
हिम्मताराम पुत्र पुनमाजी
जाति सुथार निवासी कोसेलाव
तहसील सुमेरपुर

बनाम:

प्रतिवादीगण–
1–वरदींग पुत्र तेजींगजी जाति राजपूत
निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर
2–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 20.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोसलाव में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय दिलाने हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी द्वारा कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सरहद मौजा कोसेलाव, पटवार सर्कल कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 248 रकबा 8)10 बीघा भूमि वादी को गत् दिनांक 10.05.1976 को आवंटित हुई थी जिसका आरक्षित मूल्य व सनद फीस वादी द्वारा जमा करवा दी थी जिसस उक्त आवंटित सुदा भूमि नामान्तरकरण सं. 114 दिनांक 20.12.1978 द्वारा राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम गैरखातेदारी दर्ज हुई तब से आज तक वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान गत् खसरा नं. 248 से नये खसरा नं. 603 रकबा 1.19 हेक्टर व खसरा नं. 602 रकबा 0.81 हेक्टर बने जिसमें से नये खसरा नं. 603 रकबा 1.19 हेक्टर ही वादी के नाम खातेदारी दर्ज की, जबकि नये खसरा नं. 602 रकबा 0.81 हेक्टर में से वादग्रस्त भूमि रकबा 0.17 हेक्टर वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जानी चाहिए थी जिसका वादी कानूनन हकदार है परन्तु सेटलमेंट विभाग ने ऐसा नहीं करके नये खसरा नं. 602 रकबा 0.81 हेक्टर को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया, जिससे बाद में इस खसरा नं. 602 रकबा 0.81 हेक्टर में से रकबा 0.55 हेक्टर भूमि प्रतिवादी सं.01 वरदींग को आवंटित हो गई जिसके हाल खसरा नं. 602/1 है, खसरा नं. 602 में से शेष रही भूमि रकबा 0.26 हेक्टर गवरी पत्नी जसा भांबी को आवंटित हुई जिसके मूल खसरा नं. 602 है। वादी ने वर्ष 2009 में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 603 रकबा 1.19 हेक्टर को सुकी पत्नी ताराराम घांची को बैचान कर दी। वर्तमान में वादी केवलमात्र वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 602/1 रकबा 0.55 हेक्टर में से रकबा 0.17 हेक्टर पर काबिज व काश्त करता है, परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी सं. 01 वादी को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए वादी का यह वादपत्र स्वीकार व डिक्री फरमाकर ग्राम कोसेलाव में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 602/1 रकबा 0.55 हेक्टर म से रकबा 0.17 हेक्टर भूमि का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं.01 के खातेदार घोषित करावे, साथ ही वादी की उक्त घोषित खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे, इस आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादी द्वारा वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2044–47, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा किश्तवार व रजिस्टरी दिनांक 18.03.2009 की प्रतियां पेश की है।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

(2) कि इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प की मंशा के अनुरूप पक्षकारों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रश्नगत् मामले में हमने, पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2044–47, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा किश्तवार व रजिस्टरी दिनांक 18.03.2009 एवं पूर्व में प्रस्तुत भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव व नायब तहसीलदार सुमेरपुर की तथाकथित जांच रिपोर्ट के अवलोकन व परीक्षण फलस्वरूप हमने पाया कि वादी ने अपनी आवंटित व खातेदारी भूमि हाल खसरा नं. 603 रकबा 1.19 हेक्टर रजिस्टरी दिनांक 18.03.2009 द्वारा सुकी पत्नी ताराराम घांची को बैचान कर दी थी। खसरा नं. 602 रकबा 0.81 हेक्टर में से वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 602/1 रकबा 0.55 हेक्टर प्रतिवादी सं.01 वरदींग पुत्र तेजींगजी जाति राजपूत को आवंटित होने से एवं खसरा नं. 602 रकबा 0.26 हेक्टर भूमि गवरी पत्नी जसा भांबी को आवंटित होने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उनके नाम खातेदारी दर्ज है, इसके अलावा वादग्रस्त खसरा नं. 602 में शेष सिवायचक भूमि नहीं है, ना ही खसरा नं. 602/1 रकबा 0.55 हेक्टर में से रकबा 0.17 हेक्टर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। फलस्वरूप वादपत्र में वादी द्वारा अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों की किसी स्तर पर पुष्टि नहीं होती है और इस आधारित कथित प्रकरण में हमारी विधिक राय है कि वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य च परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत सरहद मौजा कोसेलाव, पटवार सर्कल कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 602 रकबा 0.55 हेक्टर में से रकबा 0.17 हेक्टर के बारे में खातेदारी घोषणात्मक व चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति बाबत प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक **20.06.2017** को राजस्व लोक अदालत केम्प–कोसेलाव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner